

कांग्रेस विधायक स्पीकर की कुर्सी की ओर बढ़े तो सदन में बुलाने पड़े मार्शल

विपक्ष के हंगामे और विरोध के कारण सोमवार को 4 बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर । कांग्रेस विधायकों ने शून्यकाल में हंगामा और विरोध-प्रदर्शन करते हुए जब स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो सदन में मार्शल बुलाने पड़े। दरअसल विपक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को दिनभर विधानसभा में हंगामा किया। इस शोरगुल के कारण माहौल इतना बिगड़ा कि सदन की कार्यवाही भी 4 बार स्थगित करनी पड़ गई। दिनभर में हंगामे के बीच ही राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक-2025 ध्वनिमत से पारित हुआ।

दरअसल कांग्रेस, इस मानसून सत्र में लगातार अलग-अलग मुद्दे उठाकर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर माहौल बनाने में जुटी है। पहले झालवाड़ हादसा, फिर फसल खराबे और अब कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायक प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने संबंधी नारे लिखे हुए पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे, जिस पर उन्हें स्पीकर वासुदेव देवनानी ने फटकार भी लगाई।

सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, तभी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पोस्टर पहनकर सदन में पहुंचे कांग्रेस सदस्यों से आग्रह किया कि इस तरह व्यवहार सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है और यह शोभा नहीं देता। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम मोदी ने कहा कि यह राजस्थान विधानसभा की परम्परा एवं वैभवशाली इतिहास को तार-तार



प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसे नारे लिखे हुए पोस्टर पहनकर कांग्रेसी विधायक सोमवार को विधानसभा पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध-प्रदर्शन किया।

करने का काम किया गया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली ने पोस्टर उतारते हुए कहा कि वह सदन की परम्परा का सम्मान करते हैं। इसके बाद देवनानी ने प्रश्न के लिए विधायक पूसराम गोदारा का नाम पुकार लिया।

प्रश्नकाल में एक-दो प्रश्न के उत्तर के दौरान मामूली शोरशराबा हुआ और प्रश्नकाल शांति से गुजर गया और शून्यकाल शुरू हो गया। शून्यकाल में स्थान प्रस्ताव के तहत जब विधायक अपनी बात रख रहे थे, तभी कांग्रेस सदस्य पुनः प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर वेल में आ गए। विपक्ष की नारेबाजी के कारण सदन में शोरशराबा हुआ। देवनानी ने हंगामा कर रहे विधायकों को अपनी-

अनी जगह पर जाने और सदन की गरिमा बनाये रखने का आग्रह किया लेकिन वे नहीं माने और हंगामा जारी रहा। इस दौरान सदन की कार्यवाही चलती रही।

करीब 12 बजकर 51 मिनट पर कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन (स्पीकर की कुर्सी) की तरफ बढ़ने लगे। इस पर देवनानी ने मार्शल बुला लिए और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तभी कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी आगे आई और आसन की तरफ बढ़ने का प्रयास किया लेकिन महिला मार्शलों ने उन्हें भी रोक दिया। इस दौरान हंगामा जारी रहा और बाद में देवनानी ने 12 बजकर 54 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे

तक स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, तो कांग्रेस के सदस्यों ने अपना हंगामा जारी रखा।

इस कारण अध्यक्ष ने पुनः 2:12 बजे सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3 बजे तक के लिए दूसरी बार स्थगित कर दिया। जब 3 बजे भी गतिरोध नहीं टूटा तो तीसरी बार अपराह्न साढ़े 3 बजे और पुनः 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

अपराह्न 4 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई और इस दौरान राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक-2025 की ध्वनिमत से पारित किया गया। इससे पहले इस विधेयक पर जब विधायक सुभाष गर्ग

■ प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के नाम पर कांग्रेस ने दिनभर विधानसभा में किया हंगामा

■ दरअसल कांग्रेस, इस मानसून सत्र में लगातार अलग-अलग मुद्दे उठाकर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर माहौल बनाने में जुटी है। पहले झालवाड़ हादसा, फिर फसल खराबे और अब कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया गया।

बोल रहे थे, तब सभापति संदीप शर्मा ने उनका समय समाप्त होने की बात कहते हुए अगले विधायक का नाम पुकारा तो नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें और समय देने की बात कही। इस बात पर भी सदन में थोड़ा शोर-शराबा हुआ। बाद में आसन पर आये वासुदेव देवनानी ने राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 के ध्वनिमत पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित कर दी।

राज्यपाल बागडे ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्य और राष्ट्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने मोदी को

■ “अभ्युदय की ओर” पुस्तक की प्रधानमंत्री ने की सराहना

राजस्थान म’ अपने कार्यकाल के एक वर्ष के आलोक में प्रकाशित पुस्तक 'अभ्युदय की ओर' की प्रति भी भेंट की। मोदी ने “अभ्युदय की ओर” पुस्तक का अवलोकन किया तथा उसकी सराहना की। मोदी ने बागडे के एक वर्ष के कार्यकाल को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके द्वारा डेयरी, सहकारिता और प्राकृतिक खेती के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने बागडे को जमीन से जुड़ा आदर्श व्यक्तित्व बताया। राज्यपाल बागडे ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार केलिए किए जा रहे कार्यों, विशेष रूप से नैक एंक्रिडिएशन के लिए किए



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्य और राष्ट्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद भी किया।

जा रहे प्रयासों तथा आदिवासी कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। राज्यपाल ने राज्य के सभी 41 जिलों में केन्द्र एवं राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों, कल्याणकारी

योजनाओं आदि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए की गई समीक्षा बैठकों, सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरों, डेयरी, सहकारिता एवं प्राकृतिक खेती के लिए प्रारंभ हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी।

आर.यू.एच.एस. और कैंसर इंस्टीट्यूट के विलय से जयपुर में बनेगा रिम्स

सरकार ने इसके विकास के लिए 750 करोड़ रु. का प्रावधान रखा, जिसमें शुरूआती चरण में 100 करोड़ रु. खर्च करके बुनियादी ढांचे का विकास किया जायेगा

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर । राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पीछे सरकार ने मंशा जताई है कि, राजधानी जयपुर में एम्स की तर्ज पर 'रिम्स' (राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) की स्थापना की जायेगी।

उपमुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रही है और रिम्स उसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह संस्थान स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और कैसर इंस्टीट्यूट का विलय किया जाएगा।

डॉ. बैरवा ने बताया कि रिम्स के निर्माण और विकास के लिए बजट 2024-25 में 750 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जिसमें शुरूआती चरण में 100 करोड़ रुपये से बुनियादी ढांचे का विकास होगा। रिम्स में

- विपक्ष की नॉकड्रॉक के बीच विधानसभा से पारित हुआ राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक
- उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि रिम्स में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट यूनिट जैसी सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।खराबे और अब कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया गया।

कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट यूनिट जैसी सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।यह संस्थान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत डिग्री, डिप्लोमा और अन्य चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा क्वाटरनरी स्तर के रेफरल अस्पताल सेवाएं, आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान, आयुष पद्धतियों और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रिम्स की गर्बर्निंग कार्डसिल का अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होगा। इसमें राज्य और देशभर के प्रमुख चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों को भी

सदस्य बनाया गया है। हालांकि, आरएलटी विधायक सुभाष गर्ग ने बिल पर चर्चा के दौरान इस बात पर आपत्ति जताई कि गर्बर्निंग कार्डसिल में एक भी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है, जबकि एम्स की गर्बर्निंग कार्डसिल में सांसद होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि “क्या आप अफसरों को जन्ता का मालिक और विधायकों को उनका सेवक बनाना चाहते हैं? विधेयक पर बहस के दौरान सदन में गर्मागर्म माहौल देखने के पिछला कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने उपमुख्यमंत्री बैरवा से रिम्स का पूरा नाम पूछते हुए कटाक्ष किया और कहा कि “उन्हें खुद संस्थान का नाम तक

पता नहीं है, तो जवाब क्या देंगे?” इस पर बैरवा ने पलटवार करते हुए कहा, आप वृद्ध हो चुके हैं, आपको च्यवनप्राश भिजवाऊंगा, ताकि याददास्त ठीक रहे। धारीवाल और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। गोदारा ने कहा, आपको प्रदेश की तरक्की रास नहीं आ रही, आपके राज में क्या हुआ सबको पता है। जवाब में धारीवाल ने कहा, यह आपका विषय नहीं है, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश न करें। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच वाक्युद्ध और बढ़ गया।अलात रहे कि सरकार ने रिम्स को स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए अलग वितीय कोष की स्थापना होगी। सरकार प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये का अनुदान देगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। संस्थान के कार्मिक यह तय कर सकेंगे कि वे राज्य सरकार की सेवा में रहेंगे या रिम्स में कार्य करेंगे। इसके लिए चयन समिति बनाई जाएगी। रिम्स बिल के साथ-साथ मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक भी सोमवार को पारित हो गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

“मुंगेरीलाल के हसीन सपने” देख रही कांग्रेस : मदन राठौड़

जयपुर (कासं) । राजस्थान में हाल ही में संपन्न नगर निकाय उपचुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखकर खुद को खुश कर रहे हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 4 वार्डों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस को केवल एक वार्ड में जीत मिली, जबकि भाजपा ने तीन वार्डों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इसके बावजूद कांग्रेस ‘ताल ठोकरने’ की राजनीति कर रही है, जो केवल एक दिखवाा है।राठौड़ ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में हुए कुल 80 उपचुनावों में से भाजपा ने 59 में जीत दर्ज की है, जो जनता के भाजपा के प्रति अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में टिक पा रही है, न ही जनता के बीच उसका कोई भरोसा बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने कहा, गहलोत कहते हैं कि भजनलाल से मुकाबले में मजा नहीं आ रहा, तो मैं पूछता हूं कि उपचुनावों में बा-बार हार के बाद भी मजा आ रहा है क्या? अगर अब भी मजा नहीं आया, तो आने वाले चुनावों में ऐसा चखापेगे कि चारों खाने चित हो जाओगे।

प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान ने केवल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की बदहाली देखी है। जनता अब कांग्रेस के खोखले वादों और विफल नीतियों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार सुशासन और पारदर्शिता के साथ लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। राठौड़ ने कांग्रेस की ओतरोक कहह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डोटारसा और जूली के बीच माफनामे को लेकर चला विवाद, वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारिक पर डोटारसा की टिप्पणी और गहलोत का विधानसभा से दूरी बनाए रखना यह साबित करता है कि कांग्रेस में नेतृत्व और अनुशासन का अभाव है। भाजपा नेता ने कांग्रेस द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ईवीएम से जीतती है, तब उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन हार मिलने पर मशीन को दोष देना उनका दोहरा मापदंड दर्शाता है।

‘1.59 लाख कृषि कनेक्शन जारी’

जयपुर । राजस्थान में गत वर्ष एक जनवरी से इस वर्ष 31 जुलाई तक एक लाख 59 हजार 29 कृषि कनेक्शन जारी किये गये है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक विक्रम सिंह जाखल के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 31 दिसम्बर 2023 तक 1486 जमा मांगपत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन एवं 574 आवेदन मांगपत्र जारी करने के लिए लंबित थे। राज्य सरकार द्वारा एक जनवरी 2024 के पश्चात गत 31 अगस्त तक 1213 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी जारी किये गये। शेष लंबित जमा मांग पत्र वाले आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

दो गिरफ्तार

जयपुर । सांगानेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पता पूछने के बहाने झपट्टा मार लोगों के मोबाइल छीनने वाले दो शांति बंदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार लेनों बंदमाशों के पास छीने गए तीन मोबाइल सहित वारदात में प्रयुक्त एक दुर्गहिया वाहन भी बरामद किया है। पुलिस उपयुक्त पूर्व संजीव नैन ने बताया कि सांगानेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झपट्टा मार मोबाइल छीनने वाले जयदयाल उर्फ जगराम मीणा(28) निवासी रेणी जिला अलवर और राहुल मीणा (20) निवासी मंडावर जिला दौसा को को गिरफ्तार किया है।

सदन में पोस्टर पहनकर पहुंचे कांग्रेसी विधायकों को स्पीकर ने फटकार लगाई

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को कानून-व्यवस्था को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते अपराध, पुलिस की कार्यशैली और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक आवास से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस विधायकों ने बैनर-पोस्टर पहनकर प्रदर्शन किया, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताते हुए इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। उनकी इस आपत्ति के बाद कांग्रेस विधायकों ने अपने-अपने पोस्टर-बैनर हटा लिए।

कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक कानून-व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंचे। उनके हाथों और शरीर पर पोस्टर-बैनर लगे हुए थे, जिन पर राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं और पुलिस ज्यादाती के खिलाफ संदेश लिखे थे।

प्रदर्शन के बाद जब विधायक सदन में पहुंचे, तो स्पीकर ने इस तरीके को अनुचित बताते हुए फटकार लगाई। स्पीकर देवनानी ने कहा कि विरोध प्रकट करने के मर्यादित तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन सदन की परंपराओं और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली ने कहा कि

■ विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि “विरोध प्रकट करने के मर्यादित तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन सदन की परंपराओं और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए।”खराबे और अब कानून-व्यवस्था के नाम पर सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया गया।

राजस्थान में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस खुद अपराधों में लिप्त है और ‘मंथली’ के नाम पर वसूली कर रही है। जूली ने कहा कि सरकार हिरासत में 11 मौतों की बात कह रही है, जबकि वास्तविक आंकड़ा 20 से अधिक है। उन्होंने दावा किया कि जिनकी मौतें हुई हैं, वे सभी गरीब और मजदूर वर्ग के लोग थे, जिन्हें पुलिस ने टॉर्चर किया।

जूली ने बांसवाड़ा की एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि वहां एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि चैन स्मैचिंग, साइबर ठगी और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जूली ने यह भी कहा कि जब जनप्रतिनिधियों को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरना देना पड़े, तो आम आदमी की स्थिति की कल्पना की जा सकती है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य बनाया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने अधोषिit रूप से

एफआईआर दर्ज करना बंद कर दिया है। अलवर, नागौर और मकराना की घटनाओं का जिक्र करते हुए जूली ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ भेदभाव जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नैतिकी करार देते हुए कहा कि यह विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा की परंपराओं को तार-तार कर रहा है और मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर जनता को गुमराह कर रहा है। इसके जवाब में जूली ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी, तब उन्होंने भी ऐसे ही प्रदर्शन किए थे। उन्होंने कहा कि यदि जनता के सवाल उठाना नैतिकी है, तो वह इसे बार-बार दोहराएंगे। राजस्थान विधानसभा का यह मानसून सत्र अब कानून-व्यवस्था और जनाहित से जुड़े सवालों को लेकर और भी तीखा होने के संकेत दे रहा है। विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के मूड में है, जबकि सरकार इसे सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करार दे रहा है।

झोटवाड़ा में हैम्योपैथिक डॉक्टर बनकर रह रहे थे सर्वोदय सोसायटी के शांतिर ठग

ए.टी.एस. ने 50 हजार रुपये के इनामी इन दोनों शांतिर बदमाशों को धर-दबोचा

जयपुर। आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस) ने ऑपरेशन डेविल लॉयन एवं ऑपरेशन टंडन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार इनामी दो शांतिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जिन पर पचास हजार रुपए का इनाम घोषित था। फिलाहाल आरोपियों से मुठताछ की जा रही है। एटीएस पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास कुमार ने बताया कि एटीएस टीम ने वर्ष 2017 से फरार सर्वोदय आपरेटिव सोसायटी में निवेश

करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले इनामी आरोपित शैलेंद्र सिंह और ऋषि राज राठौड़ को गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपित गांव गिरवा जिला बाडमेर हाल सिरोही जिला सिरोही के रहने वाले हैं। यह लोग झोटवाड़ा थाना इलाके में पहचान छिपा कर हैम्योपैथिक डॉक्टर बन कर रह थे। दोनों आरोपियों के पिता देना बैंक में कर्मचारी थे।इस जो इस केस में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। दोनों बदमाशों पर जालोर पुलिस अधीक्षक की ओर से 25-25

हजार रुपए का इनाम घोषित था। पिछले 8 साल से दोनों बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहे थे। इन दोनों बदमाशों पर 30 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। इन दोनों ने कम समय में पैसे दोगुने करने का झांसा देकर लोगों को मेहनत के करोड़ों रुपए लूट लिए थे।जिन पड़ताल में सामने आया कि बदमाशों ने वर्ष 2009 में सर्वोदय आपरेटिव सोसाइटी सिरोही, पाली व जालोर में खोली। इन लोगों ने कुल 28 शाखाओं से यह शुरु किया था।

जामडोली विमंदित गृह में महिला की मौत पर विधानसभा में हंगामा

अंतिम संस्कार में देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा

जयपुर (विसं)। जामडोली स्थित राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह में एक महिला आवास की मौत और उसके अंतिम संस्कार में हुई देरी का मुद्दा सोमवार के विधानसभा में गमवार्य रहा। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया पूरी तरह पुलिस विभाग के सकुर्लर के अनुसार हुई है।

मंत्री ने बताया कि मृतका सीमा द्वितीय को 6 अगस्त 2016 को जामडोली स्थित बालिका विंग में भर्ती किया गया था। गत 26 मार्च 2025 को तबीयत बिगड़ने पर उसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 29 अप्रैल की रात 10:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि मृतका के माता-पिता अज्ञात थे, इसलिए 30 अप्रैल को जामडोली थाने को सूचित किया गया। नियमानुसार पोस्टमार्टम और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर शव का अंतिम संस्कार 5 मई को किया गया। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने

■ मंत्री अविनाश गहलोत ने नियमों का हवाला देकर किया बचाव

सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आवासनो की मौत के 6 दिन बाद तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तभी जाकर दाह संस्कार कराया गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर सारी प्रक्रिया सरकार के मुताबिक थी, तो तत्कालीन अधीक्षक को निर्लिंबित क्यों किया गया।

जिस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि मृतका अज्ञात श्रेणी में थी और पुलिस विभाग द्वारा 27 सितम्बर 2021 को जारी सकुर्लर के अनुसार शव को 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है, ताकि परिजनों की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि इसी प्रक्रिया के पालन में कुछ समय जरूर लगा, लेकिन सब कुछ नियमों के तहत हुआ। जब अधीक्षक के निर्लेबन

पर सवाल उठे तो मंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ प्रशासनिक कमियां सामने आई थीं। एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद तत्कालीन अधीक्षक को निर्लिंबित किया गया है।

मंत्री गहलोत ने कांग्रेस कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2020 से 2023 तक जामडोली स्थित दिव्यांग गृह में कुल 15 मौतें हुईं, जबकि वर्तमान सरकार के दो वर्षों में सिर्फ 4 मौतें दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि यहां रह रहे बच्चे मानसिक रूप से विमंदित होते हैं और उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बेहद कम होती है, जिससे संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की संभावना बनी रहती है।

मंत्री ने बताया कि अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण निम्न श्वसन तंत्र संक्रमण था। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कुछ देर के लिए हंगामा और नोकझोंक की स्थिति भी बनी रही। हालांकि मंत्री ने बार-बार यह दोहराया कि सरकार ने सभी कार्यवाहियां निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार की हैं।

अवैध मछली शिकार पर अब 25 हजार रु. जुर्माना

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में सोमवार को हंगामे और नारेबाजी के बीच राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए वेल में पहुंचकर जोरदार विरोध प्रर्शन किया। हंगामे के चलते विधेयक पर केवल दो विधायकों- निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी और बसपा विधायक मनोज न्यांगल-को ही अपनी बात रखने का अवसर मिला विधेयक और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर शव का अंतिम संस्कार 5 मई को किया गया। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने

■ हंगामे के बीच विधानसभा में पारित हुआ मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक

राष्ट्र अत्यधिक है और इससे गरीब मछुआरों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि जुर्माने की राशि को यथोचित स्तर पर लाया जाए, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिल सके। जमानावकाश के बाद जैसे ही अपनी बात रखने का अवसर मिला विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अवैध रूप से मछली का शिकार करने पर अब पहली बार में 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा, जो पहले मात्र 500 रुपए था। वहीं दूसरी बार अपराध करने पर यह जुर्माना 50 हजार रुपए तक हो सकता है, जिसे पहले 1000 रुपए रखा गया था। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बहस के दौरान कहा कि जुर्माने की

अवैध खनन, पुलिस की मिलीभगत और अपराधों पर घेरा

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने प्रदेश को कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। विपक्षी विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों से अवैध खनन, महिला सुरक्षा, पुलिस की मिलीभगत और हत्या के मामलों को उठाते हुए सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली ने राज्य में माफियाओं के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि माफियाओं का कानून चल रहा है, सरकार कहें हैं? इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया और विधानसभा अध्यक्ष को पीएसबी बैठक में मामले पर चर्चा का आश्वासन देना पड़ा। सोमवार को भीनमाल के विधायक समरजीत सिंह ने जालोर में अवैध खनन और पुलिस-माफिया गठजोड़ का आरोप लगाया। चामूं की विधायक शिखा बराला ने जयपुर को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष के निजी सचिव तक मानव तस्करी के आरोप से धिरे हैं।